राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 168/अलवर १९92-93

यह प्रमाणित किया जाता है कि पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान समिति जिला अलवर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक आठ माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ तिरानवे को अलवर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर।

रजिस्ट्रार संस्थायें अलवर (राज०)

पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान लीली (अलवर)

पंजियन क्रमांक 168/1992-93

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
3.संस्था के उद्देश्य	इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगेः- 1.उच्चशिक्षा का प्रचार प्रसार करना। 2.भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की भावना पैदा करना। 3.अच्छे नागरिक तैयार करना। 4.हस्त कला की शिक्षा देकर स्वावलम्बन के भाप पैदा करना। 5.प्रौढ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। 6.कक्षा प्रथम से पंचम तक के स्तर के बालको-बालिकाओं को नवीन पद्धति से शिक्षा उपलब्ध करना। 7.सरकारी सहायता आदि प्राप्तकर शिक्षा के स्तर को उंचा उठाना । 8.विकलांग एवं ग्राम के अन्धे बेसहारा गूंगे अनाथ बच्चों को उनके मानसिक विकास के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। 9.स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा,नैतिकशिक्षा,कलाशिक्षा का बच्चों को ज्ञान कराना। 10.उच्च शिक्षा हेतुशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालन करना। 11.व्यावसायिक प्रशिक्षण,तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण के केन्द्र स्थापित कर संचलन करना।	इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगेः- 1.उच्चशिक्षा का प्रचार प्रसार करना। 2.भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की भावना पैदा करना। 3.अच्छे नागरिक तैयार करना। 4.हस्त कला की शिक्षा देकर स्वावलम्बन के भाप पैदा करना। 5.प्रौढ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। 6.कक्षा प्रथम से पंचम तक के स्तर के बालको-बालिकाओं को नवीन पद्धति से शिक्षा उपलब्ध करना। 7.सरकारी सहायता आदि प्राप्तकर शिक्षा के स्तर को उंचा उठाना । 8.विकलांग एवं ग्राम के अन्धे बेसहारा गूंगे अनाथ बच्चो को उनके मानसिक विकास के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। 9.स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा,नैतिकशिक्षा,कलाशिक्षा का बच्चों को ज्ञान कराना। 10.उच्च शिक्षा हेतुशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालन करना। 11.व्यावसायिक प्रशिक्षण,तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण के केन्द्र स्थापित कर संचालन करना। 12.बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु पशुधन सहायक डिप्लोमा व पशुचिकित्सा संबंधि डिग्री हेतु शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना।

अध्यक्ष — पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान, लीली लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज॰

मंत्री — पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान, लीली लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज॰

कोषाध्यक्ष — पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान, लीली लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज॰

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19
... प्रमाणित किया जाता है कि यह
... गये, पत्र
... /....सें.....
... 20-5-10
नकल तैयार ... हस्ताक्षर.......

रजिस्ट्रार संस्थाऐ, अलवर

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं
अलवर (राजस्थान)

क्रमांक फा. संस्था रजि./ 883 — रजिस्टर्ड 15/2/93

श्री महेन्द्र सिंह ... मंत्री
पायलट पब्लिक स्कूल
शिक्षा संस्थान समिति

अलवर दिनांक

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958
के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 168/अलवर/92-93 दिनांक 8-2-93 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें। यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है :-

1 संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के।
2 एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3 संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थदण्ड से दंडनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के लिये प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्धि होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दंडनीय होगा जो दो हजार रु. तक का हो सकता है।

नोट :- इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न :- मूल प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रार संस्थाएं
अलवर (राजस्थान)

पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति/सोसायटी/संस्थान लीली

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान लीली समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लीली बस स्टेण्ड की तरफ मुकाम लीली, तह. लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज.) है तथा इसका कार्यक्षेत्र लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य हैं—

1. उच्चशिक्षा का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
2. भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की भावना पैदा करना।
3. अच्छे नागरिक तैयार करना।
4. हस्त कला की शिक्षा देकर स्वावलम्बन के भाव पैदा करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
6. कक्षा प्रथम से कक्षा पंचम तक के स्तर के बालकों एवं बालिकाओं को नवीन पद्धति से शिक्षा उपलब्ध कराना
7. सरकारी सहायता आदि प्राप्त कर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना।
8. विकलांग एवं ग्राम के अन्धे, गूंगे तथा अनाथ बच्चों को उनके मानसिक विकास के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
9. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कला शिक्षा का बच्चों को ज्ञान कराना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:—

क.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	पद
1	नरेन्द्र स्वरूप शर्मा S/o स्व. श्री बाला प्रसाद	सेवानिवृत प्रधानाध्यापक	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	अध्यक्ष
2	श्री कुंजलाल गुप्ता S/o स्व. श्री कल्याणसहाय	बिजनेस	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	उपाध्यक्ष
3	श्री महेन्द्र सिंह जाट S/o श्री सुवालाल जाट	बिजनेस	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	मन्त्री
4	श्री विजय सिंह जाट S/o श्री लादूमोतीराम जाट	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	उपमन्त्री
5	श्री विजय सिंह जाट S/o श्री एस० आर० जाट	बिजनेस	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	कोषाध्यक्ष
6	श्री गिर्राज सिंह राजपूत S/o श्री स्व. पीर सिंह	अध्यापक	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य
7	श्री किशन सिंह राजपूत S/o स्व. श्री माधो सिंह	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य
8	श्री राम खिलाड़ी मीणा S/o श्री रामभरोस मीणा	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य
9	श्री प्रेमचन्द जांगिड़ S/o स्व. श्री हरसहाय जांगिड़	लकड़ी उद्योग	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य
10	श्री राधेश्याम स्वामी S/o श्री जगन्नाथ स्वामी	कर्मचारी	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य
11	श्री नेमीचन्द सैनी S/o श्री [illegible]	अध्यापक	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य
12	श्री रतनलाल मीणा S/o श्री रामप्रसाद मीणा	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०)	सदस्य

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं—इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होवें व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं—

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	हस्ताक्षर
1	श्री नरेन्द्र स्वरूप शर्मा S/o स्व. श्री बालमुकन्द शर्मा	सेवा निवृत प्रधानाध्यापक	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
2	श्री [illegible] S/o स्व. श्री [illegible]	बिजनेस	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
3	श्री महेन्द्र सिंह जाट S/o श्री [illegible] जाट	बिजनेस	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
4	श्री विजय सिंह जाट S/o श्री लक्ष्मण राम जाट	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
5	श्री विजय सिंह जाट S/o श्री [illegible] जाट	बिजनेस	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	विजय सिंह
6	श्री गिर्राज राजपूत S/o स्व. [illegible] सिंह	अध्यापक	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ अलवर (राज०) 321607	[illegible]
7	श्री किशन सिंह राजपूत S/o स्व. श्री [illegible] सिंह	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	किशन सिंह
8	श्री राम [illegible] मीणा S/o श्री [illegible] मीणा	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
9	श्री [illegible] जांगिड़ S/o श्री स्व. [illegible]	[illegible]	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
10	श्री राधेश्याम स्वामी S/o श्री [illegible] स्वामी	[illegible]	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
11	श्री [illegible] S/o स्व. श्री [illegible]	[illegible]	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
12	श्री [illegible] मीणा S/o श्री [illegible] मीणा	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
13	श्री मोहनलाल जांगिड़ S/o श्री स्व. [illegible] जांगिड़	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	मोहनलाल
14	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा S/o स्व. श्री [illegible]	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
15	मोती लाल शर्मा S/o स्व. श्री [illegible]	[illegible]	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
16	श्री [illegible] शर्मा S/o स्व. श्री [illegible]	[illegible]	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]
17	श्री [illegible] सिंह जाट S/o श्री अर्जुन राम जाट	अध्यापक	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर	[illegible]
18	श्री भगवान सिंह S/o श्री [illegible]	कृषि	ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)	[illegible]

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

व्याख्याता
राज० सीनियर माध्यमिक विद्यालय
[illegible] (अलवर) राज०
नाम/व्यवसाय/पूर्णपता

व्याख्याता
राज० सीनियर माध्यमिक विद्यालय
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०
नाम/व्यवसाय/पूर्णपता

मन्त्री
पोद्दार पब्लिक स्कूल
(लक्ष्मणगढ़) अलवर

प्रधानाचार्य
पोद्दार पब्लिक स्कूल
(लक्ष्मणगढ़) अलवर

नाम पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान लीली समिति/सोसायटी/संस्थान लीली

विधान [नियमावली]

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान लीली लक्ष्मणगढ़ समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लीली बस स्टैण्ड की तरफ ग्राम व पोस्ट लीली तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर है तथा इसका कार्यक्षेत्र अलवर जिला लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है—

1. शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जायेगा
2. भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की भावना पैदा करना।
3. अच्छे नागरिक तैयार करना।
4. हस्त कला की शिक्षा देकर स्वावलम्बन की भावना पैदा करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
6. कक्षा प्रथम से कक्षा पंचम तक के स्तर के बालकों एवं बालिकाओं को नवीन पद्धति से शिक्षा उपलब्ध कराना।
7. सरकारी सहायता प्राप्त कर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना।
8. विकलांग एवं ग्राम के अन्धे, बहरे, गूंगे तथा अनाथ बच्चों को उनके मानसिक विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना
9. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कला शिक्षा का बच्चों को ज्ञान उपलब्ध कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें

1 संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2 बालिग हों।
3 पागल, दीवालिये न हो।
4 संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5 संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

अध्यक्ष — पोद्दार पब्लिक स्कूल लीली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

मन्त्री — पोद्दार पब्लिक स्कूल लीली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

कोषाध्यक्ष — पोद्दार पब्लिक स्कूल लीली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

5 सदस्यों का वर्गीकरण	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किये जा सकेंगें । 1 संरक्षक 2 विशिष्ठ 3 सम्माननीय 4 साधारण
6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा । 1 संरक्षक— राशि 501/रु. वार्षिक/आजन्म 2 विशिष्ठ— राशि 101/रु. वार्षिक/आजन्म 3 सम्माननीय- राशि 51/रु. वार्षिक 4 साधारण- राशि 12/रु. वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त अथवा रुपये 20/- मुश्त की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।
7 सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा 1 मृत्यु होने पर 2 त्याग पत्र देने पर 3 संस्था के विपरीत काम करने पर । 4 प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर । उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।
8 साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे—
9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगेः— 1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना 2 वार्षिक बजट पारित करना । 3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।

अध्यक्ष
पोद्दार बी तिलक स्कूल
कोली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

मन्त्री
पोद्दार बी तिलक स्कूल
कोली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

कोषाध्यक्ष
पोद्दार बी तिलक स्कूल
कोली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन तथा परिवर्धन करना । (रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा ।

10 साधारण सभा की बैठकें

1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।

3 बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी ।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ।

5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक एवं सर्व मान्य होंगे ।

11 कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिये एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

1	अध्यक्ष	एक
2	उपाध्यक्ष	एक
3	मन्त्री	एक
4	उप मन्त्री	एक

– 4 –

अध्यक्ष
पोद्दार पब्लिक स्कूल
सीली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

मन्त्री
पोद्दार पब्लिक स्कूल
सीली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

कोषाध्यक्ष
पोद्दार पब्लिक स्कूल
सीली (लक्ष्मणगढ़) अलवर

5 कोषाध्यक्ष एक
6 सदस्य सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किए जावे तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रखलें ।
वह इस प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 7 सदस्य कुल 12 सदस्य होंगे ।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन

1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा किया जावेगा ।
2 चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा । चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे ।
1 सदस्य बनाना निष्कासित ।
2 वार्षिक बजट तैयार करना ।
3 संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
4 वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन, भत्ते का निर्धारण करना ।
5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना
6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।
7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना ।

14 कार्यकारिणी की बैठकें

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी । लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

—5—

अध्यक्ष पोद्दार पब्लिक स्कूल (लक्ष्मणगढ़) अलवर
मन्त्री पोद्दार पब्लिक स्कूल (लक्ष्मणगढ़) अलवर
कोषाध्यक्ष पोद्दार पब्लिक स्कूल (लक्ष्मणगढ़) अलवर

3 बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे—

अध्यक्ष—

1 बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3 बैठक आहूत करना ।
4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
6 अन्य ।

उपाध्यक्ष—

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2 प्रबन्ध कारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

मन्त्री—

1 बैठकें आहूत करना ।
2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड करना ।
3 आय व्यय पर नियन्त्रण करना ।
4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

—6—

अध्यक्ष पोद्दार पब्लिक स्कूल (लक्ष्मणगढ़) अलवर

मन्त्री पोद्दार पब्लिक स्कूल (लक्ष्मणगढ़) अलवर

कोषाध्यक्ष पोद्दार पब्लिक स्कूल (लक्ष्मणगढ़) अलवर

6 पत्र व्यवहार करना ।

7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

उपमन्त्री—

1 मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।

2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें ।

कोषाध्यक्ष—

1 वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न कराना

16 संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्नप्रकार संचित होगा—

1 चन्दा

2 शुल्क

3 अनुदान

4 सहायता

5 राजकीय अनुदान

1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी ।

2 अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा ।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

1 संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

1 अध्यक्ष......200/-......रुपये

2 मन्त्री......200/-......रुपये

3 कोषाध्यक्ष......100/-......रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।

—7—

अध्यक्ष
पोद्दार पब्लिक स्कूल
(लक्ष्मणगढ़) अलवर

मन्त्री
पोद्दार पब्लिक स्कूल
(लक्ष्मणगढ़) अलवर

कोषाध्यक्ष
पोद्दार पब्लिक स्कूल
(लक्ष्मणगढ़) अलवर

18 संस्था का अंकेक्षण — संस्था के समस्त लेखे जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा ।

19 संस्था के विधान में परिवर्तन — संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20 संस्था का विघटन — यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21 संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण — रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रसार समिति/सोसायटी/प्रबंधिनी की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष — पोद्दार पब्लिक स्कूल (लाजपतनगर) अलवर

मंत्री — पोद्दार पब्लिक स्कूल (लाजपतनगर) अलवर

कोषाध्यक्ष — पोद्दार पब्लिक स्कूल (लाजपतनगर) अलवर

संस्था का क्रमांक 168/अलवर/92-93

संस्था का नाम पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रसार समिति

प्रलेख विधान नियमावली

पृष्ठ संख्या [illegible]

दिनांक 4-2-93

हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रति

हस्ताक्षर पढ़ने वाला

हस्ताक्षर सुनने वाला

नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दिनांक 18-2-93

नकल तैयार करने की दिनांक 1-3-93

नकल देने की दिनांक 1-3-93